Notifications /Orders of Industries Department, Govt. of U.P.

विशेष सचिव उद्योग विभाग द्वारा आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग निदेशालय को प्रेषित पत्रांक संख्याः 59 (1) /77-6-11-41 टैक्स/01, दिनांक 11 जनवरी, 2011

विषयः औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना के कार्यान्वयन विषयक शासनसदेश संख्या-2974/77-6-2003-41टैक्स/01 दिनांक 6.11.2003 के साथ संलग्न औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली संख्या- 3090/77-6-03-41टैक्स/01 दिनांक 6.11.03 के नियम 5(13) में संशोधन करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली संख्या-3090/77-6-03-41टैक्स/01 दिनांक 6.11.03 यथा संशोधित में आवश्यक संशोधन कर दिये गयें हैं। अनुरोध है कि कृपया संलग्न नियमावली संख्या-59/77-6-06-41टैक्स/01 दिनांक 11 जनवरी, 2011 के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

3- शासनादेश संख्या- 2974/77-6-2003-41टैक्स/01 दिनांक 06.11.2003 इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

<u>संलग्नक</u>

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार , औद्योगिक विकास अनुभाग को प्रेषित पत्र संख्या-59/77-6-11-41 टैक्स/01 दिनांक 11 जनवरी, 2011।

''भारत के संविधान'' के अनुच्छेद 162 के अधीन राज्य सरकार को प्रदत्त कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली, 2003 जो शासनादेश संख्या - 3090/77-6-03-41टैक्स/01 दिनांक 6 नवम्बर, 2003 द्वारा बनाई गई थी, यथा संशोधित में निम्नलिखित संशोधन करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली (चतुर्थ संशोधन), 2011

संक्षिप्त नाम 1(1) यह नियमावली औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली (चतुर्थ संशोधन), 2011 विस्तार एवं कही जायेगी।

प्रारम्भ (2) यह सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू होगी।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2- **नियम-5(13) का संशोधन** औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2003 के नियम-5(13) को निम्नवत् संशोधित कर दिया गया है।

वर्तमान नियम	संशोधित नियम
"5(13)- पात्र इकाई अपनी परिसम्पत्तियों का पिकप/यू0पी0एफ0सी0 के पक्ष में प्रथम अथवा द्वितीय प्रभार उत्पन्न करेगी जो ऋण की धनराशि की सुरक्षा के लिए पर्याप्त हो। पिकप/यू0पू0एफ0सी0 युक्तियुक्त कारणों को अभिलिखित करते हुए द्वितीय जार्च के अतिरिक्त पात्र इकाई के साझेदारों, निदेशकों से अतिरिक्त जमानत अथवा पर्सनल बाण्ड मांग सकते हैं।"	"5(13)- पात्र इकाई अपनी परिसम्पत्तियों का पिकप/यू0पी0एफ0सी0 के पक्ष में प्रथम अथवा द्वितीय प्रभार उत्पन्न करेगी जो ऋण की धनराशि की सुरक्षा के लिए पर्याप्त हो। पिकप/यू0पी0एफ0सी0 युक्तियुक्त कारणों को अभिलिखित करते हुए द्वितीय चार्ज के अतिरिक्त पात्र इकाई के साझेदारों, निदेशकों से अतिरिक्त जमानत अथवा पर्सनल बाण्ड मांग सकते हैं।" उक्त के अतिरिक्त पात्र इकाई द्वारा प्रतिभूति की कमी को निम्नवत् पूर्ण किया जा सकता है:- (अ) इकाई द्वारा प्रतिभूति की कमी को कोलेट्रल सिक्योरिटी के रूप में भूमि/भवन आदि देकर वांछित प्रतिभूति ऋण अनुपात पूर्ण कर लिया जाये। तथा (ब) इकाई द्वारा पब्लिक सेक्टर बैंक से ब्याजमुक्त ऋण के समतुल्य बैंक गारण्टी (सम्पूर्ण ऋण अदायगी की अवधि के लिए)